

**FORM No. III**

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत अति० जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

देवकीनन्दन

बनाम

नेशनल ऑथोरिटी वगै०

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र बाबत टाईटल में संशोधन हेतु धारा 152 सीपीसी

मै 30-30/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-05-2022	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र ताउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर किया जावे । अप्रार्थी को तलब किया जाकर मूल प्रकरण के साथ पत्रावली दिनांक 30.05.2022 को पेश हो</p> <p><i>Am</i></p>	
30/5/2022	<p>वकील प्रार्थी एवं एन.एफ.ए. डार्ल के वकील उपस्थित । प्रार्थी द्वारा डाल्टन धारा 152 CPC के तहत पत्र के सम्बन्ध में धारणा किया है कि उक्त डाल्टन प्रकरण में दिनांक 26-4-2022 को निर्णय पारित किया गया था, उक्त निर्णय के अन्तर्गत डाल्टन का नाम "देवकीनन्दन" के स्थान पर उक्त मुद्दे के कारण "देवकीनन्दर" हो गया है, जिसे पुनः विभाजित किया जाना आवश्यक है। इस पुनर्निर्णय बाबत एन.एफ.ए. डार्ल के वकील द्वारा अपनी सहमति प्रकट की है। हमारे मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत "देवकीनन्दन" व "देवकीनन्दर" के स्थान पर उक्त मुद्दे के कारण "देवकीनन्दर" हो गया है; जिसे पुनः विभाजित किया जाना चाहिए। कतः इस प्रकरण के पूर्व प्रकरण सं० 15/2022 के अन्तर्गत प्रार्थी का नाम "देवकीनन्दर" के स्थान पर "देवकीनन्दन" पदा जावे। तदनुसार मूल निर्णय में नोट डालने किया जाकर फेदर प्रकट होकर मूल प्रकरण के सम्बन्ध में दाखिल किया है।</p> <p><i>Am</i></p>	<p>अपनी नं० ६</p> <p><i>[Signature]</i></p>

जिला कलेक्टर

कोटा